(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 04/2023

बउनवान

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारां जरिये जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारॉ
(सायल)

बनाम

पानाचंद सुमन उम्र 44 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति माली निवासी सोरती बावड़ी, कस्बा मांगरोल जिला बाराँ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– अभियोजन अधिकारी (सायल)
2– श्री शैलेष मेहता अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 09.10.2023

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल पानाचंद सुमन पुत्र धन्नालाल निवासी सोरती बावड़ी, कस्बा मांगरोल जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बाराँ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना मांगरोल क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। गैरसायल जुआ एक्ट के अपराधों का आदि है। इसके विरूद्व पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2001 से वर्ष 2023 मे कुल 11 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है जिनमें से कुल 10 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को 10 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावें। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 01.03.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य [illegible] हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जरिये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा [illegible] के उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर [illegible] की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:28:11 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभियोजन अधिकारी सरकार पक्ष का [illegible] कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2001 से वर्ष 2023 मे कुल 11 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ [illegible] दर्ज हुए है जिनमें से कुल 10 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका [illegible] फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराधों की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय एवं आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसकी इन आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासा प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के कथनों को दौहराते हुये कहा गया कि अप्रार्थी को दिया गया नोटिस सर्वथा निराधार विधि, न्याय व प्रकिया के सर्वथा विपरीत होने से अस्वीकार है। गैरसायल धारा 2 (बी) के अन्तर्गत गुण्डा की परिभाषा मे नही आता है उसे सर्वथा गलत नोटिस दिया गया है इस परिभाषा मे वर्णित कोई अपराध का मुकदमा न तो अप्रार्थी के विरूद्व चला है और न ही कभी उसे सजायाब किया गया है। उसे सर्वथा निराधार आधारों पर नोटिस दिया गया है, पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नही है जो गैरसायल को धारा 2 (बी) के तहत गुण्डा ठहराती हो। इस प्रकार गैरसायल को गलत तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्व नोटिस दिया गया है। गैरसायल को धारा 2 (बी) के तहत गुण्डा ठहराती हो इस सम्बन्ध मे 1984 एल.आर. (राजस्थान 206), 1996–97 सी.आर.एल.आर. 216, 1980 एल.आर.डब्ल्यू पेज 6, 1995 राज0 492, 1996 (1) आर.सी.डी. (राज.) 147 के विधि दृष्टांत से स्पष्ट है। नोटिस में जिन मुकदमों का विवरण दिया गया है, वह अपूर्ण है। उनकी कोई प्रति एवं फैसला न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, न कथित प्रकरणों के तथ्यों का विवरण दिया गया है। न गैरसायल के विरूद्ध कोई शिकायत है। नियमानुसार 06 माह की अवधि में तीन प्रकरण वर्णित प्रकृति के तय होना जरूरी है। प्रस्तुत प्रतिवेदन का अधिकांश हिस्सा रिक्त है। अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत प्रतिवेदन सर्वथा अपूर्ण विधि विरूद्ध तथा एकपक्षीय है। अतः उक्त परिस्थितियों में विधि तथा राज. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के प्रकाश में गैरसायल के विरूद्व की गयी कार्यवाही निरस्त की जावें।

प्रकरण मे अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार एवं गैरसायल के अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्ध पुलिस थाना मांगरोल में वर्ष 2001 से वर्ष 2023 मे कुल 11 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के तहत दर्ज हुए है जिनमें से कुल 10 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह साबित होता है कि पानाचंद सुमन पुत्र धन्नालाल निवासी सोरती बावड़ी, कस्बा मांगरोल जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है क्योंकि धारा 2(आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को 10 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल पानाचंद सुमन पुत्र धन्नालाल निवासी सोरती बावड़ी, कस्बा मांगरोल जिला बारॉ जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र, मांगरोल जिला बाराँ से 01 माह के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल पानाचंद सुमन पुत्र धन्नालाल निवासी सोरती बावड़ी, कस्बा मांगरोल जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना क्षेत्र मांगरोल जिला बारॉ से 01 माह के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, सीसवाली जिला बारॉ को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 25.10.2023 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारॉ को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारॉ को तहरीर दी जावे जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना मांगरोल जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारॉ के सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **09.10.2023** को सरे इजलास ... या। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:28:11 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ